न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– श्री प्रमोद कुमार(आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 306/2014

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2012/00026

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1 ओखाराम पुत्र गजारामजी जति–मेघवाल, निवासी–वार्ड संख्या 25, सांचौर		1 पुरखाराम पुत्र भारमल कौम–बिश्नोई, निवासी–दादावाड़ी के पास सांचौर, तहसील व जिला–सांचौर
2 हरदान पुत्र धीराजी, जाति– तुरी, निवासी–शांतिनगर सांचौर तहसील व जिला–सांचौर		2 भूमिधारी तहसीलदार सांचौर जिला–सांचौर
		3 अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सांचौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 (क) सिविल प्रक्रिया संहिता

तारीख रजु :– 23.12.2015

उपस्थिति :–

1. वादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता इब्राहिम शाह जुनेजा अनुपस्थित।
2. प्रतिवादी संख्या 1 ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बाबूलाल गोदारा उपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।
4. प्रतिवादी संख्या 3 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 06.11.2024

अप्रार्थी/प्रतिवादी पुरखाराम मय अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11(क) सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण ने गलत तथ्य एवं विनायवाद पैदा नहीं होने के उपरान्त वाद माननीय न्यायालय में पेश किया है कि वादीगण द्वारा अपने वाद में बताया कि वादीगण द्वारा राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि वादीगण के हक हिस्से की भूमि सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा गलत रूप से नवीन खसरा संख्या 1444/3202, 1445/3203 व 1446/3204 का इन्द्राज वादीगण की भूमि में कर दिया गया। अतः माननीय न्यायालय में प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमावें। मौजा सांचौर के पुराने खसरा संख्या 358 के नवीन खसरा संख्या 1444/3202, 1445/3203 व 1446/3204 नवसृजित हुए जो मिलान क्षेत्रफल एवं राजस्व रेकर्ड के अनुसार सही है, जिसकी खातेदारी मुझ प्रतिवादी पुरखाराम से निरन्तर चली आ रही है। वादीगण द्वारा अपने वाद में कथन किया कि सेटलमेंट अधिकारियों ने पुराने खसरा संख्या 359 से नवीन खसरा संख्या 1447, 1448, 1449/3184 को गलत रूप से सृजित कर नवीन नक्शा ट्रेस में वादीगण के हिस्से में दर्शाया गया है जबकि पुराने नक्शा ट्रैस में पुराने खसरा संख्या 359 रकबा 39 बीघा 08 बिस्वा के ट्रेस नक्शा से भिन्न नवीन ट्रैस नक्शा में गलत रूप से इन्द्राज कर प्रतिवादीगण के हिस्से में गलत रूप से दर्शाया गया है जबकि खसरा संख्या 1444/3202 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1445/3203 रकबा 0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.01.22 16:33:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

25 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1446/3204 रकबा 0.37 हैक्टेयर की आराजी के राजस्व रेकर्ड नये व पुराने से स्पष्ट है कि वादीगण की पुराने एवं नये राजस्व रेकर्ड अनुसार खातेदारी भूमि में कोई कमी बेशी नहीं है तथा न ही नक्शे में कोई भिन्न अथवा फेरबदल है। अतः वादीगण का वाद सारहीन एवं गलत तथ्यों का पेश करने से वाद काबिल खारिज है। वादीगण ने गलत तथ्य पेश कर वाद हेतुक प्रकट करने की कोशिश की है जिसके कारण हेतुक उत्पन्न नहीं होता है। जिसके कारण वादीगण का वाद प्रथम स्तर पर काबिल खारिज है। अतः श्रीमान न्यायालय में प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1 पुरखाराम का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11(क) सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार फरमाकर दावा खारिज फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी/वादीगण ने उक्त प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11(क) सिविल प्रक्रिया संहिता का जवाब पेश नहीं करना चाहते है तथा सीधे ही बहस करने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने उक्त प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि वादीगण ने गलत तथ्य एवं विनायवाद पैदा नहीं होने के उपरान्त वाद माननीय न्यायालय में पेश किया है। वादीगण द्वारा बताया कि राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि वादीगण के हक हिस्से की भूमि सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा गलत रूप से नवीन खसरा संख्या 1444/3202, 1445/3203 व 1446/3204 का इन्द्राज वादीगण की भूमि में कर दिया गया। मौजा सांचौर के पुराने खसरा संख्या 358 के नवीन खसरा संख्या 1444/3202, 1445/3203 व 1446/3204 नव सृजित हुए है जो मिलान क्षैत्रफल एवं राजस्व रेकर्ड के अनुसार सही दर्ज है। जिससे प्रतिवादी के नाम से निरन्तर खातेदारी चली आ रही है। सेटलमेंट अधिकारियों ने पुराने खसरा संख्या 359 से नवीन खसरा संख्या 1447, 1448, 1449/3184 को गलत रूप से सृजित कर वादीगण के हिस्से में दर्शाया है जबकि पुराने नक्शा ट्रैस में पुराने खसरा संख्या 359 रकबा 39 बीघा 08 बिस्वा के ट्रैश नक्शे से भिन्न नवीन ट्रेस नक्शा में गलत रूप से इन्द्राज कर प्रतिवादी के हिस्से में गलत रूप से दर्शाया है। वादीगण के नये एवं पुराने राजस्व रेकर्ड अनुसार खातेदारी भूमि में कोई कमी–बेशी नहीं है तथा न ही नक्शें में कोई भिन्न अथवा फेरबदल है। वादीगण ने गलत तथ्य पेश कर वाद हेतुक प्रकट करने की कोशिश की है जिसके कारण वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11(क) सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार फरमाकर वादीगण का वाद खारिज फरमावें। पक्ष अप्रार्थी/वादीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा सांचौर के खेड़ खसरा नं. 1444 रकबा 1.63 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1445 रकबा 1.59 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1446 रकबा 1.39 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1447 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1448 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1449/3184 रकबा 0.36 हैक्टेयर स्थित है। नवीन खसरा संख्या द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा पुराने खसरा संख्या 359 रकबा 39 बीघा 08 बिस्वा से सृजित किये गये है मोके पर अप्रार्थी/वादीगण का पुराने खसरा संख्या 359 के अनुसार ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod K
Date: 2025.01.22 16:33:09 IS
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फारेस्ट्रेक) सांचौर

कब्जा काश्त है। खसरा संख्या 1444/3202, 1445/3203 व 1446/3204 को सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा गलत रूप से वादीगण की आराजी से सृजित किये गये है जबकि मौके पर पुराने खसरा संख्या 359 में अप्रार्थी/वादीगण का कब्जाकाश्त है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का पुराने खसरा संख्या 359 में वादीगण/अप्रार्थी का कब्जाकाश्त है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का पुराने खसरा संख्या 358 में मौके पर कब्जा काश्त है। विनायवाद उस समय पैदा हुआ जब सेटलमेंट अधिकारियों ने पुराना खसरा संख्या 359 की भूमि पर पुराने खसरा संख्या 358 की भूमि के नवीन खसरा संख्या 1444/3202, 1445/3203 व 1446/3204 का इन्द्राज वादीगण के हक हिस्से की भूमि में कर दिया तथा खासकर उस समय पैदा हुआ, जब प्रतिवादी ने उक्त सेटलमेंट अधिकारियों की गलती का फायदा उठाकर वादीगण के हक हिस्से की भूमि पर नगरपालिका सांचौर से आवासीय पट्टा प्राप्त करने हेतु पत्रावलियां जमा करवाई, तब राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि वादीगण की हक हिस्से की भूमि में सेटलमेंट अधिकारियों ने गलत रूप से इन्द्राज कर दिया। अतः निवेदन है कि प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11(क) सिविल प्रक्रिया संहिता सुनी गई। पत्रावली में सलंग्न वादपत्र., प्रार्थना–पत्र, जमाबंदी एवं दस्तावेजात् का गहनता से अध्ययन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन निम्मानुसार है :–

1. वादपत्र के चरण संख्या 02 के अनुसार नवीन खसरा नंबरान द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा पुराने खसरा संख्या 359 रकबा 39 बीघा 08 बिस्वा में से सृजित किये गये है मौके परं वादीगण का पुराने खसरा संख्या 359 के अनुसार ही कब्जाकाश्त है। वादपत्र के चरण संख्या 4 के अनुसार सेटलमेंट अधिकारियों ने पुराने खसरा संख्या 359 में से नवीन खसरा संख्या 1447, 1448, 1449/3184 को गलत रूप से सृजित कर नवीन ट्रेस नक्शा में वादीगण के हिस्से में दर्शाया है जबकि पुराने ट्रेस नक्शा में पुराने खसरा संख्या 359 रकबा 39 बीघा 08 बिस्वा के ट्रेस नक्शा से भिन्न नवीन ट्रेस नक्शा में गलत रूप से इन्द्राज कर वादीगण के हक हिस्से की भूमि में नवीन खसरा संख्या 1444/3202, 1445/3203 व 1446/3204 रकबा क्रमशः 0.25 हैक्टेयर, 0.25 हैक्टेयर, 0.37 हैक्टेयर की प्रतिवादी के हिस्से में गलत रूप से दर्शाया है। उक्त सेटलमेंट अधिकारियों की गलती को सुधारकर वादीगण खसरा संख्या 1444/3202, 1445/3203 व 1446/3204 रकबा क्रमशः 0.25 हैक्टेयर, 0.25 हैक्टेयर, 0.37 हैक्टेयर की भूमि में अपने हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod
Date: 2025.01.22 16:33:09
Reason: SelfAttested

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 पुरखाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11(क) सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार मौजा सांचौर के पुराने खसरा संख्या 358 के नवीन खसरा संख्या 1444/3202, 1445/3203 व 1446/3204 नवसृजित हुए है जिसकी खातेदारी प्रतिवादी पुरखाराम के नाम निरन्तर चली आ रही है जिस पर प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं किये जा सकते है। वादीगण ने गलत तथ्य

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रेक) सांचौर

पेश कर वाद हेतुक प्रकट नहीं होने के कारण विनायवाद पैदा नहीं होने के कारण प्रथम दृष्ट्या वाद साबित नहीं होने के कारण वाद खारिज किये जाने योग्य है।

दस्तावेजात् एवं जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 रेकॉर्डेड खातेदार है एवं खसरा संख्या 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449/3184 पुराने खसरा संख्या 359 एवं खसरा संख्या 1444/3202, 1445/3203, 1446/3204 पुराने खसरा संख्या 358 से सृजित हुए है। प्रतिकुल कब्जे का सिद्धान्त बाध्यकारी नहीं है।

2. प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदारी के संबंध में माननीय उच्च न्यायलय एवं माननीय राजस्व मण्डल के महत्वपूर्ण निर्णय:–

(क) आर.आर. डी 2016 पेज 464/ चेनाराम और अन्य विरूद्व बोर्ड ऑफ रेवन्यू और अन्य –

माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं किये जा सकते है।

(ख) आर आर डी 2011 पेज 508 जगदीश बनाम सीताराम/पूर्ण पीठ निर्णय दिनांक 03.06.2011

इस निर्णय में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि "Rajasthan Tenancy act does not have provision to Conter tenancy right to adverse possessor. This Bench also ineter that providing tenancy right to adverse possessor is a retreating step with regard to land reforms and such a conferment of tenancy right is against the basic spirit of this special legislation "

(ग) आर आर डी 2018 पेज 715 सरजू राव बनाम अमृतलाल/पूर्ण पीठ निर्णय दिनांक 30.08.2018 –

इस निर्णय में भी जगदीश बनाम सीताराम निर्णय का हवाला देते हुए माननीय राजस्व मण्डल ने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है।

3. किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 13, 15, 19 189(2), 193, 194(2) व धारा 101 राजस्थान राजस्व अधिनियम सपठित नियम 18 राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) और राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्तें 1955 की शर्त संख्या के अन्तर्गत ही प्राप्त हो सकते है। निर्विवाद रूप से वादीगण ने उक्त किसी भी धारा के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अभिवचन नहीं लिया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रतिकुल कब्जे के आधार पर किसी व्यक्ति को खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.01.22 16:33:09 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। अधिनियम के तृतीय अनुच्छेद में भी प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः न्यायालय के अभिमत में, वादीगण को वादकारण हासिल नही होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदारी के प्रावधान नहीं होने के कारण, प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11(क) सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:– आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11(क) सिविल प्रक्रिया संहिता साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं वाद वादीगण नामंजूर किया जाता है। पत्रावली निर्णय सुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक सांचौर (सांचौर) जिला सांचौर

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर फास्ट
–ट्रैक सांचौर, जिला–सांचौर

निर्णय आज दिनांक 06.11.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक सांचौर (सांचौर) जिला सांचौर

सहायक कलेक्टर फास्ट
–ट्रैक सांचौर, जिला–सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod
Date: 2025.01.22 16:33:09
Reason: SelfAttested